<u>जल-मौसम विज्ञान प्रसारण नीति</u>

1. परिचय

सभी जल संसाधन विकास परियोजनाओं के योजना, डिजाइन और निष्पादन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक डेटा की आवश्यकता होती है। हमारे देश में सतही जल डेटा मुख्य रूप से केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसने देश में एक वेब सक्षम जल संसाधन सूचना प्रणाली (India-Web Enabled Water Resource Information System(WRIS)) स्थापित की हुई है।

एनएचपीसी ने भी जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा मापने वाले स्थल स्थापित किए हैं, उन स्थलों पर पावर स्टेशनों, निर्माणाधीन परियोजनाओं और अन्वेषण परियोजनाओं द्वारा डेटा एकत्र किया जाता है। बाहरी एजेंसियों से इन डेटा की मांग के मामले में, जल-मौसम विज्ञान डेटा प्रसारण नीति की आवश्यकता महसूस की गई है।

2. जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा उपलब्ध्ता

2.1 एनएचपीसी द्वारा एकत्र किया गया डेटा

2.1.1 सतही जल से संबंधित निम्नलिखित जल विज्ञान संबंधी (Hydrological) डेटा हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन (Hydrological Observation) स्थलों पर एकत्र किए जाते हैं:

(i) नदी जल स्तर (गेज, G),

(ii) नदी डिस्चार्ज (डिस्चार्ज, D),

(iii) तलछट प्रवाह (सिल्ट, S)

2.1.2 हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन के अलावा, एनएचपीसी अपने अधिकांश स्थलों पर वर्षा, अधिकतम-न्यूनतम तापमान, आर्द्रता (moisture), पैन-वाष्पीकरण (Pan Evaporation), सौर विकिरण (Solar Radiation), हवा का वेग (wind velocity) और पानी के तापमान (Water Temperature) आदि का भी निरीक्षण करता है।

2.1.3 जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा संग्रह की सामान्य आवृत्ति (frequency) निम्न है:-

(i) जल स्तर गेज (नॉन मानसून) - प्रतिदिन 08:00, 13:00 और 18:00 बजे।

(ii) जल स्तर गेज (मानसून) - प्रति घंटा गेज

(iii) डिस्चार्ज - दैनिक

(iv) तलछट (Sediment) - दैनिक

(v) मौसम संबंधी डेटा - दैनिक

2.1.4 एनएचपीसी के पास उपलब्ध जल- मौसम संबंधी जानकारी इस प्रकार है:-

(ए) दैनिक डिस्चार्ज का मान (values) ।

(बी) समान समय अंतराल या गैर-समान समय अंतराल पर देखे गए गेज का मान ।

(सी) महीन (fine), मध्यम (medium) और मोटे (coarse) तलछट (sediment) सहित सस्पेंडेड (Suspended) / Bed तलछट प्रवाह के अवलोकन का मान (value)।

(डी) मौसम संबंधी डेटा जैसे वर्षा, अधिकतम-न्यूनतम तापमान, आर्द्रता, पैन-वाष्पीकरण, सौर विकिरण, हवा का वेग।

(ई) वार्षिक औसत डेटा और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण डेटा (जैसे उच्चतम बाढ़ स्तर, वार्षिक अधिकतम बाढ़ (peaks) आदि)

3. जल-मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों का वर्गीकरण

3.1 डेटा प्रसार के दृष्टिकोण से, पावर स्टेशनों/परियोजनाओं को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में समूहीकृत किया जा सकता है;

(ए) क्षेत्र- I: सिंधु बेसिन और अन्य नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियाँ जोकि पाकिस्तान में निर्गम करती है, उन नदियों पर बिजली स्टेशन / परियोजनाएं ;

(बी) क्षेत्र- II: गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन और अन्य नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियाँ जोकि बांग्लादेश/म्यांमार में निर्गम करती है, उन नदियों पर बिजली स्टेशन / परियोजनाएं ; और

(सी) क्षेत्र-III: शेष अन्य नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियाँ पर स्थित बिजली स्टेशन/परियोजनाएं।

3.2 क्षेत्र-I और क्षेत्र-II का डेटा वर्गीकृत **(Classified)** है, जबकि क्षेत्र-III का डेटा अवर्गीकृत **(Un-Classified)** है।

4. डेटा उपयोगकर्ता श्रेणियाँ

4.1 जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा प्रसार के उद्देश्य से, उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में समूहीकृत किया जा सकता है:

(i) भारतीय उपयोगकर्ता - गैर-सरकारी संगठन/शैक्षिक संस्थान/अनुसंधान संस्थान/व्यावसायिक अनुसंधान/अध्ययन और भारतीय राष्ट्रीय सहित पूरी तरह से सरकारी/भारतीय नागरिक/निजी कंपनी/निजी क्षेत्र की कंपनी/सलाहकार के स्वामित्व वाली एजेंसियां/इकाइयाँ।

(ii) विदेशी उपयोगकर्ता - ऐसी एजेंसियों/संस्थाओं जिनका स्वामित्व आंशिक रूप से या पूरी तरह से विदेशी नागरिकों के पास है, जिनमें ऐसी एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा नियोजित (employed) व्यक्ति भी शामिल हैं।

5. जल-मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों का संरक्षक

5.1 कार्यपालक निदेशक (डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग) एनएचपीसी द्वारा एकत्र किए गए पावर स्टेशनों/परियोजनाओं के जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा के संरक्षक (custodian) होंगे।

6. अवर्गीकृत (Un-classified) जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा जारी करने और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया

6.1 अवर्गीकृत डेटा प्राप्त करने के इच्छुक सभी उपयोगकर्ता अपना अनुरोध 'गोपनीयता अंडरटेकिंग' (**अनुलग्नक-II** में दिया गया प्रारूप) के साथ **अनुलग्नक-I** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में कार्यपालक निदेशक (एसबीडी और सी) को भेज सकते हैं।

6.2 कार्यपालक निदेशक (डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग) **अनुलग्नक-I** के अनुसार प्राप्त आवश्यकता के आधार पर अवर्गीकृत डेटा जारी करने के अनुरोध पर निर्णय लेंगे।

6.3 अवर्गीकृत डेटा निम्नलिखित दरों के भुगतान पर उपलब्ध कराया जा सकता है:-

1) गेज और डिस्चार्ज डेटा- रु. 1,30,000/- प्रति वर्ष प्रति साइट

2) गेज डेटा- रु. 85,000/- प्रति वर्ष प्रति साइट

3) मौसम संबंधी डेटा-रु. 45000/- प्रति वर्ष प्रति साइट

4) तलछट (Sediment) डेटा-रु. 1,30,000/- प्रति वर्ष प्रति साइट

(जीएसटी अतिरिक्त)

उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक न्यूनतम डेटा, कार्यपालक निदेशक (डिज़ाइन और इंजीनियरिंग) द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा । डेटा शुल्क की गणना का वर्ष, जल वर्ष (1 जून से अगले वर्ष के 31 मई तक) होगा। किसी भी वर्ष के आंशिक डेटा के प्रसारण हेतु भी उपरोक्त दरों पर समान शुल्क लिया जाएगा। उपयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले भुगतान की सूचना डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा नोडल विभाग अर्थात एसबीडी&सी विभाग को दी जाएगी।

6.4 नोडल विभाग, डिजाइन और इंजीनियरिंग विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर डेटा की उपलब्धता के अनुसार डेटा जारी करने के लिए अपेक्षित राशि जमा करने के लिए डेटा के उपयोगकर्ता को सूचित करेगा।

6.5 कार्यपालक निदेशक (डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग) की अधिकृति के आधार पर और उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अपेक्षित भुगतान के प्रस्तुति की सूचना प्राप्त होने के बाद, कार्यपालक निदेशक (डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग) अधिकृति के अनुसार और भुगतान के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, नोडल विभाग को डेटा जारी करेंगे।

6.6 इन आंकड़ों के आधार पर निकाले गए किसी भी निष्कर्ष के लिए एनएचपीसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

6.7 एनएचपीसी से प्राप्त डेटा के उपयोग को डीपीआर/रिपोर्ट/प्रकाशन में विधिवत रूप से धन्यवाद दिया जाएगा ।

7. वर्गीकृत डेटा जारी करने और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया

7.1 वर्गीकृत डेटा केवल विनिर्दिष्ट उद्देश्य/अध्ययन के लिए जारी किया जाएगा और गैर-हस्तांतरणीय होगा।

7.2 वर्गीकृत डेटा प्राप्त करने के इच्छुक सभी उपयोगकर्ता अपना अनुरोध 'गोपनीयता अंडरटेकिंग' (**अनुलग्नक -II** में दिया गया प्रारूप) के साथ **अनुलग्नक-I** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में कार्यपालक निदेशक (एसबीडी और सी) को भेज सकते हैं।

7.3 डेटा जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त होने के बाद, कार्यपालक निदेशक (डिज़ाइन और इंजीनियरिंग) उपयोगकर्ता की प्रामाणिकता, डेटा अनुरोध का उद्देश्य और उस उद्देश्य/अध्ययन के लिए आवश्यक न्यूनतम डेटा को सत्यापित करेंगे और अनुरोधों को अग्रेषित करेंगे। ऐसे अनुरोधों की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी को सिफारिशें भेजेंगे (**अनुलग्नक-III**)।

7.4 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी प्राप्त आवश्यकता के आधार पर वर्गीकृत डेटा जारी करने के अनुरोध पर निर्णय लेंगे, जिसे कार्यपालक निदेशक (डिजाइन और इंजीनियरिंग) को सूचित किया जाएगा।

7.5 भारतीय और विदेशी उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित दरों पर भुगतान पर वर्गीकृत (Classified) डेटा प्रदान किया जाएगा

1) गेज और डिस्चार्ज डेटा- रु. 1,30,000/- प्रति वर्ष प्रति साइट

2) गेज डेटा- रु. 85,000/- प्रति वर्ष प्रति साइट

3) मौसम विज्ञान संबंधी डेटा-रु. 45000/- प्रति वर्ष प्रति साइट

4) गाद डेटा-रु. 1,30,000/- प्रति वर्ष प्रति साइट

(जीएसटी अतिरिक्त)

उपयोगकर्ता द्वारा वांछित आवश्यक न्यूनतम डेटा, कार्यपालक निदेशक (डिज़ाइन और इंजीनियरिंग) द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा । डेटा शुल्क की गणना का वर्ष, जल वर्ष (1 जून से अगले वर्ष के 31 मई तक) होगा। किसी भी वर्ष के आंशिक डेटा के प्रसार के लिए भी उपरोक्त दरों पर समान ही शुल्क लिया जाएगा। उपयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले भुगतान की सूचना, डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग द्वारा नोडल प्रभाग अर्थात एसबीडी&सी विभाग को दी जाएगी।

7.6 नोडल विभाग, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर डेटा की उपलब्धता के अनुसार डेटा जारी करने के लिए अपेक्षित राशि जमा करने के लिए डेटा के उपयोगकर्ता को सूचित करेगा।

7.7 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अधिकृति के आधार पर और उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अपेक्षित भुगतान के प्रस्तुति की सूचना प्राप्त होने के बाद। कार्यपालक निदेशक (डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग) अधिकृति के अनुसार और भुगतान के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, नोडल विभाग को डेटा जारी करेंगे।

7.8 जारी किए गए वर्गीकृत डेटा को किसी भी रिपोर्ट/प्रकाशन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) आदि में पुन: प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। केवल विश्लेषण के परिणाम और उससे निकाले गए निष्कर्ष ही प्रकाशित किए जाने चाहिए। एनएचपीसी के योगदान को डीपीआर/रिपोर्ट/प्रकाशन में विधिवत रूप से धन्यवाद दिया जाएगा ।

7.9 इन आंकड़ों के आधार पर निकाले गए किसी भी निष्कर्ष के लिए एनएचपीसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

7.10 सिंधु जल संधि के तहत आने वाली नदियों का डेटा, डेटा उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा सिंधु जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाएगा।

8. नोडल विभाग

8.1 एसबीडी एंड सी विभाग जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा के प्रसार के लिए नोडल विभाग होगा।

8.2 सभी मांगें कार्यपालक निदेशक (एसबीडी एंड सी) विभाग, एनएचपीसी लिमिटेड, निगम मुख्यालय, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 को प्रस्तुत की जाएंगी।

8.3 डेटा प्रसारण का बिल, एसबीडी एंड सी विभाग द्वारा किया जाएगा जोकि डिज़ाइन और इंजीनियरिंग विभाग को सूचित किया जाएगा,

9. जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा प्रसार नीति की समीक्षा

9.1 क्रमांक 6.3 और 7.5 पर निर्दिष्ट दरों की समीक्षा पॉलिसी जारी होने की तारीख से हर पांच साल के अंत में की जाएगी।

9.2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, आवश्यकता पड़ने पर वर्गीकृत डेटा की सीमा और जारी करने की प्रक्रिया के साथ-साथ इस हाइड्रो-मौसम विज्ञान डेटा प्रसार नीति की समीक्षा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (competent authority) होंगे।

अनुलग्नक -I

सामान्य जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा अनुरोध प्रपत्र

1. उपयोगकर्ता का नाम		
2. पता: कार्यालय		
3. पता: निवास		
4. उपयोगकर्ता की श्रेणी (डेटा उपयोगकर्ता श्रेणियों के लिए खंड 4 देखें) (समर्थक प्रमाण/दस्तावेज़ संलग्न करें)		
5. एनएचपीसी साइटों का विवरण जिसके लिए डेटा आवश्यक है:		
क्र.सं.	**एनएचपीसी साइट का नाम**	**नदी का नाम, जिस पर साइट स्थित है**
6. आवश्यक डेटा का प्रकार, आवृत्ति और अवधि:		
प्रकार	आवृत्ति	आवश्यक डेटा की अवधि:
(ए) गेज	प्रति घंटा/दिन में 3 बार/दैनिक/10 दैनिक/मासिक/वार्षिक औसत ऐतिहासिक अधिकतम/न्यूनतम	गैर-मानसून....... ..से............ मानसून..................से..................
(बी) डिस्चार्ज	दैनिक/10 दैनिक/मासिक/वार्षिक औसत ऐतिहासिक अधिकतम/न्यूनतम	गैर-मानसून............से................. मानसून.................से.................
(सी) गाद	दैनिक/10 दैनिक/मासिक/वार्षिक औसत ऐतिहासिक अधिकतम/न्यूनतम	गैर-मानसून.............से................. मानसून.................से.................
(डी) मौसम विज्ञान	डेटा दैनिक	

	ऐतिहासिक अधिकतम न्यूनतम	
7. जिस उद्देश्य के लिए डेटा की आवश्यकता है (एक औचित्य नोट संलग्न करें)		
8. (i) क्या हाइड्रोलॉजिकल डेटा का विश्लेषण/अध्ययन इन-हाउस किया जाएगा;		हां / नहीं
(ii) यदि प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर नहीं है, तो अध्ययन के लिए तैनात/तैनाती किए जाने वाले सलाहकार का नाम और पता:		
(iii) सलाहकार की श्रेणी (डेटा उपयोगकर्ता के अनुसार)। खंड 4 में निर्दिष्ट श्रेणियां; सहायक साक्ष्य/दस्तावेज़ संलग्न करें)		
9. डेटा संग्रह के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं पता		

यदि डेटा जारी करने के लिए मंजूरी दे दी जाती है, तो मैं डेटा जारी करने से पहले मेरे द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप में "अंडरटेकिंग (undertaking)" प्रदान करने का वचन देता हूं।

अधिकारी के हस्ताक्षर

महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष के पद/

प्रबंध निदेशक या समकक्ष

पदनाम सहित पूरा नाम:______________________________

विभाग का नाम:____________________________

कार्यालय का पता: ______________________________

दिनांक: _____________________________

कार्यालय सील के साथ

अनुलग्नक -II

गोपनीयता अंडरटेकिंग (undertaking)

मैं ---------------------- (पदनाम सहित पूरा नाम) जल-मौसम विज्ञान द्वारा आपूर्ति किए गए डेटा के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं ।

1) एनएचपीसी लिमिटेड से एकत्रित नदी प्रणालियों के .... (उप बेसिनों का नाम जिसके लिए डेटा आवश्यक है) से संबंधित जल-मौसम संबंधी डेटा, पत्र संख्या ...... के संदर्भ में। .... दिनांक.................. का उपयोग दृढ़ता से उक्त आधिकारिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए डेटा मांगा गया है।

2) पूर्व सहमति/नई अनुमति के बिना किसी भी सरकारी/गैर सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को डेटा की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

या

मैंने एनएचपीसी लिमिटेड को पहले ही सूचित कर दिया है कि हमने अध्ययन करने के लिए मेसर्स ________________________________ (सलाहकार का नाम) को एक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया है और इस उद्देश्य के लिए डेटा उनसे साझा किया जाएगा। मैं समझता हूं कि डेटा को अन्य एजेंसियों (सलाहकारों के अलावा) को साझा करने लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, भले ही इसे हमारे सलाहकारों द्वारा आगे प्रेषित किया गया हो।

3) पूर्व अनुमति के बिना डेटा प्रकाशित नहीं किया जाएगा। जारी किए गए वर्गीकृत डेटा को किसी भी रिपोर्ट/प्रकाशन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) आदि में पुन: प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। केवल विश्लेषण के परिणाम और उससे निकाले गए निष्कर्ष ही प्रकाशित किए जायेंगे । एनएचपीसी के योगदान को डीपीआर/रिपोर्ट/प्रकाशन में विधिवत वर्णित किया जाएगा।

4) डेटा का उपयोग केवल उस विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दी गई है।

5) इन आंकड़ों के आधार पर निकाले गए किसी भी निष्कर्ष के लिए एनएचपीसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

6) डेटा जारी करने के बाद, यदि अनुरोध फॉर्म में संदर्भित अध्ययन करने के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार को तैनात करते हैं, तो मैं उन्हें डेटा स्थानांतरित करने के लिए एनएचपीसी से पूर्व अनुमति लूंगा।

7) मैं समझता हूं कि किसी भी प्रतिबद्धता का उल्लंघन नागरिक जिम्मेदारियों (civil Liability) को आमंत्रित कर सकता है।

अधिकारी के हस्ताक्षर
महाप्रबंधक के पद/
विभागाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या समकक्ष

पदनाम सहित पूरा नाम:_____________________________
विभाग का नाम:____________________________
कार्यालय का पता: _____________________________
दिनांक: ____________________________
कार्यालय सील के साथ

अनुलग्नक -III

एनएचपीसी के कार्यपालक निदेशक (डिजाइन एवं इंजीनियरिंग) की अनुशंसा

1. उपयोगकर्ता का नाम	
2. पता: कार्यालय	
3. पता: निवास	
4. पत्र संख्या और तारीख जिसके द्वारा डेटा जारी करने का अनुरोध किया गया था।	
5. दावा किए गए उपयोगकर्ता की श्रेणी (डेटा उपयोगकर्ता श्रेणियों के लिए खंड 4 देखें)	
6. प्रस्तुत प्रमाण/दस्तावेज़ के आधार पर उपयोगकर्ता की श्रेणी के बारे में दावे के साथ समझौता	हां / नहीं
7. यदि प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर नहीं है, तो क्या इंडेंटिंग उपयोगकर्ता को अतिरिक्त प्रमाण/दस्तावेज़ और पत्र संख्या की आवश्यकता के बारे में अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सूचित किया गया है। ऐसे पत्र की तारीख	
8. अनुरोधित डेटा की सीमा?	
9. क्या जिस उद्देश्य के लिए डेटा की आवश्यकता है वह उचित है?	
10. क्या आवश्यक डेटा उपलब्ध है? यदि उपलब्ध डेटा की सीमा नहीं है और जारी करने के लिए अनुशंसित है।	
11. डेटा जारी होने से पहले उसकी गणना के साथ भुगतान एकत्र किया जाना चाहिए	
12. कार्यपालक निदेशक (डिजाइन एवं इंजीनियरिंग) की सिफारिश हस्ताक्षर, नाम और पदनाम (कार्यालय मुहर) के साथ	